

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/सेफटी(डीएम)6/14

नई दिल्ली, दिनांक 25.03.2020

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम

निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

विषय: कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर दिशा-निर्देश।

संदर्भ: केंद्रीय गृह सचिव का दिनांक 24.03.2020 का आदेश सं. 40-3/2020-डी

कृपया केंद्रीय गृह सचिव का दिनांक 24.03.2020 का आदेश सं. 40-3/2020-डी का संलग्नकों के साथ अवलोकन करें, जिनमें सूचना एवं कड़ाई से अनुपालन के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को रोकने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दिशा-निर्देश शामिल हैं।

(डिम्पी गर्ग)

कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(एम)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त